प्रेस नोट दिनांक 31.12.2025

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा ईनामिया 25,000/-रूपये का अभियुक्त जंगबहादुर सिंह उर्फ लल्लू सिंह को किया गया गिरफ्तार-

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा ईनामिया 25,000/-रूपये का अभियुक्त जंगबहादुर सिंह उर्फ लल्लू सिंह को सेक्टर 08 प्लाट न0 02 आईएमटी मानेशर थाना सेक्टर 07 आईएमटी जनपद गुडगाँव हरियाणा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 योगेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा मय हमराह का0 वीरेन्द्र यादव व का0 विनय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, दबिश के दौरान अन्तर्गत धारा 376डी/363/342 भादवि से सम्बन्धित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त जंगबहादुर सिंह उर्फ लल्लू सिंह सुत सुभाष सिहं निवासी ग्राम उदईशाहपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष को सेक्टर 08 प्लाट न0 02 आईएमटी मानेशर थाना सेक्टर 07 आईएमटी जनपद गुडगाँव हरियाणा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त का विवरण-
01 अभियुक्त जंगबहादुर सिंह उर्फ लल्लू सिंह सुत सुभाष सिहं निवासी ग्राम उदईशाहपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 27 वर्ष।

गिरफ्तार ईनामिया अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1-अभियुक्त जंगबहादुर सिंह उर्फ लल्लू सिंह पुत्र सुभाष सिंह निावसी ग्राम उदईशाहपुर थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1.मु0अ0सं0 272/2017 धारा 376D,363,342 IPC थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
2.मु.अ.सं. 243/21 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि व 3(1)द/3(1)ध Sc/St Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 योगेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी सैफाबाद थाना आसपुर देवसरा मय हमराह का0 वीरेन्द्र यादव, का0 विनय कुमार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

सार्वजनिक स्थान पर मारपीट व भय का माहौल फैलाने वाले 02 अभियुक्तों जावेद व सूफियान को थाना जेठवारा पुलिस ने किया गिरफ्तार

अभियुक्तों को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मीगंज नहर के पास से किया गया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 30.12.2025 को समय लगभग 15:30 बजे लक्ष्मीगंज बाजार में गुलाब किराना स्टोर के सामने एक्सपायरी नमकीन व पैसों के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के मध्य लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से गाली-गलौज व मारपीट हो रही थी। इस संबंध में थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 311/25 धारा 191(2)/191 (3)/190/115(2)/352/351 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 आनन्द राय मय हमराह का0 अनुराग शुक्ला व का0 अर्पित त्रिपाठी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 311/25 धारा 191(2)/191 (3)/190/115(2)/352/351 (3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट से संबंधित 02 अभियुक्तों 1.जावेद पुत्र मो० खान वसीर निवासी ग्राम गोसाईपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 33 वर्ष, 2.सूफियान पुत्र अब्दुल सलाम खान निवासी ग्राम गोसाईपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत लक्ष्मीगंज नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01.जावेद पुत्र मो० खान वसीर निवासी ग्राम गोसाईपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 33 वर्ष।
02.सूफियान पुत्र अब्दुल सलाम खान निवासी ग्राम गोसाईपुर थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 20 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 आनन्द राय मय हमराह का0 अनुराग शुक्ला व का0 अर्पित त्रिपाठी थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

साइबर सेल प्रतापगढ़-

कुल 13 शिकायतों में ₹ 5,90,018/- की धनराशि साइबर सेल प्रतापगढ़ द्वारा पीड़ितों को वापस कराई गई ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन व नोडल अधिकारी साइबर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल ,सहायक नोडल अधिकारी साइबर क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के निकट पर्यवेक्षण में साइबर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु एनसीआरपी पोर्टल एवं पीड़ितों द्वारा दिये गये। शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच के अनुक्रम में साइबर सेल जनपद प्रतापगढ़ टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये शिकायतकर्ताओं की धोखाधड़ी से आहरित धनराशि उनके खाते में पुनः वापस कराई गई। शिकायतकर्ताओं द्वारा जनपदीय उच्चाधिकारियों व साइबर सेल प्रतापगढ़ टीम का आभार व्यक्त किया गया ।

पीड़ितों के खाते में वापस कराये गये धनराशि का विवरण इस प्रकार है:-
- कुल शिकायतें: 13
- कुल वापस कराई गई राशि: ₹ 5,90,018/-
- ठगी के तरीके: यूपीआई, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड व अन्य तरीकों से ठगी ।

जनसामान्य के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की अपील:
1. किसी भी वेबसाइट या ऐप पर अपनी OTP, CVV या पिन कभी भी साझा न करें, चाहे सामने वाला कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे।
2. सोशल मीडिया पर दिख रहे “तुरंत पैसे कमाने” या “घर बैठे नौकरी” जैसे विज्ञापनों से सावधान रहें।
3. वीडियो कॉल के माध्यम से होने वाले डिजिटल अरेस्ट या पुलिस कार्रवाई के दावों पर विश्वास न करें।
4. सार्वजनिक Wi-Fi का उपयोग करते समय बैंकिंग या UPI से जुड़े कार्य करने से बचें।
5. किसी भी एप को डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग, रिव्यू और डेवलपर की जानकारी जरूर जांचें।
6. साइबर ठगी की स्थिति में समय न गंवाएं, तुरंत 1930 पर कॉल करें।
7. अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल पर आने वाले अलर्ट/नोटिफिकेशन को नजरअंदाज न करें।
8. फर्जी कस्टमर केयर नंबरों से बचें, केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही संपर्क विवरण लें।
9. बच्चों और बुजुर्गों को भी साइबर ठगी के तरीकों के बारे में जागरूक करें।
10. इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या वेबसाइट(https://www.cybercrime.gov.in) पर कॉल करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं।

डिजिटल दुनिया में सतर्क रहें।
“सावधानी और जागरूकता ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे प्रभावी हथियार है।”

-जनपदीय साइबर सेल टीम , प्रतापगढ़-